खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण संचालनालय
विन्ध्याचल भवन खण्ड 'घ' भोपाल मध्यप्रदेश

दूरभाष 0755-2551479, E-mail id- dirfood@mp.nic.in

क्रमांक /स्थापना/ 2025 भोपाल, दिनांक

दिव्यांगजनों की भर्ती हेतु नियमावली

माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर में दायर याचिका क्रमांक WP No. 7275/2029, National Federation of Blind MP Branch विरूद्व मध्यप्रदेश शासन व अन्य में दिनांक 30 जनवरी 2024 को पारित निर्णय के परिपालन में दिव्यांगजनों के रिक्त पदों की पूर्ति मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के पत्र दिनांक 04.01.2024 , दिनांक 14.02.2024 तथा 31.05.2024 के माध्यम से विभाग में दिव्यांगजनों के लिए बैकलॉग के पदों सहित चिन्हांकित किये गये रिक्त पदों की पूर्ति वॉक-इन-इंटरव्यू के माध्यम से किये जाने के निर्देशों के अनुक्रम में मा. उच्च न्यायालय के उक्त निर्णय के अध्ययनधीन विशेष भर्ती अभियान के अंतर्गत कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी (कार्यपालिक) के पद हेतु दिव्यांगजनों के लिए रिक्त पदों की पूर्ति "Walk-in-interview" के माध्यम से किए जाने के लिए निर्धारित शैक्षणिक अर्हता रखने वाले मध्यप्रदेश के मूल निवासी एवं रोजगार कार्यालय में पंजीकृत जीवित दिव्यांगजन आवेदकों से निर्धारित प्रारूप में आवेदन- पत्र आमंत्रित किये जाते हैं।

1. **दिव्यांग श्रेणी के रिक्त पदों का विवरण:-**

पद नाम: कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी (कार्यपालिक)

स. क्र.	दिव्यांग श्रेणी का विवरण	भर्ती हेतु पदों की संख्या	रिमार्क
1	दृष्टि बाधित और कम दृष्टि (VH)	02	विज्ञापित पदों की संख्या को घटाया या बढ़ाया जा सकता है।
2	बहरे और कम सुनने वाले (EH)	01	
3	लोकोमोटर डिसेबिलिटी जिसमें सम्मिलित है, सेरेब्रल पाल्सी, कुष्ठ रोग मुक्त, बौनापन, एसिड अटैक पीडित, मस्कुलर डिस्ट्राफी (LD)	01	
4	ऑटिज्म, बौद्धिक दिव्यांगता, स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी और मानसिक बीमारी और बहु विकलांगता (MD)	01	
	योग	**05**	

2. **निर्धारित शैक्षणिक अर्हता:-** किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से विज्ञान स्नातक (जिसमें भौतिकी एक विषय के रूप में हो) या प्रौद्योगिकी/इंजिनियरिंग में डिप्लोमा धारणकर्ता हो और हिन्दी बोलने पढने एवं लिखने में समर्थ हो।
3. **वेतनमान:-** सातवां पुनरीक्षित वेतनमान रूपये 28700/- से 91300/-

3.1 मध्यप्रदेश खाद्य नागरिक आपूर्ति तृतीय श्रेणी (अराजपत्रित) सेवा भर्ति नियम 1989 अंतर्गत मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक सी. 3-13/2019/3/एक,

दिनांक 12 दिसम्बर, 2019 के अनुसार सीधी भर्ती के पद पर प्रथमतः 03 वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर रखा जायेगा। परिवीक्षा अवधि में पद के वेतनमान के न्यूनतम का प्रथम वर्ष 70 प्रतिशत, द्वितीय वर्ष 80 प्रतिशत एवं तृतीय वर्ष 90 प्रतिशत स्टायपेंड के रूप में देय होगी। परिवीक्षा अवधि सफलतापूर्वक पूर्ण करने पर वेतनमान में वेतन दिया जाना प्रारंभ किया जाएगा।

3.2 मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग मंत्रालय के पत्र क्रमांक/ एफ- 9/3/2003/नियम/चार, दिनांक 13 अप्रैल 2005 तथा मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग मंत्रालय के पत्र क्रमांक एफ 9-11/2017/नियम/चार दिनांक 25 जून 2018 व अन्य समय- समय पर जारी अन्य पत्रों के परिपालन में राज्य शासन के अधीन दिनांक 01 जनवरी 2005 अथवा इसके बाद नियुक्त होने वाले कर्मचारियों के लिये राष्ट्रीय पेंशन योजना (परिभाषित अंशदान पेंशन योजना) लागू होगी।

4. **पदों के लिये अधिकतम आयु सीमा:-**

4.1 अभ्यर्थी की आयु की गणना 01 जनवरी 2025 से निर्धारित की जावेगी।

4.2 मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय भोपाल के पत्र क्रमांक सी 3-8/ 2016 / 1/3 दिनांक 04 जुलाई 2019 के अनुसार राज्य शासन की सेवाओं में सीणी भर्ती से भरे जाने वाले पदों पर नियुक्ति के लिए लोक सेवा आयोग की परिधि से बाहर के तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी पदो के लिए न्यूनतम/ अधिकतम आयु सीमा निम्नानुसार निर्धारित की गई है:-

भर्ती का तरीका	न्यूनतम/ अधिकतम आयु सीमा (वर्ष में)
अनुसूचित जाति, अनुसूचित जन जाति, अन्य पिछड़ावर्ग, शासकीय / निगम / मण्डल / स्वशासी संस्था के कर्मचारियों / नगर सैनिक / निःशक्तजन / महिलाओं (अनारक्षित / आरक्षित) आदि के लिए	18 से 45 (अधिकतम आयु सीमा में 05 वर्ष की छूट)

नोट:- सभी पदों के लिए अभ्यर्थियों का मध्यप्रदेश राज्य के रोजगार कार्यालय में जीवित पंजीयन होना अनिवार्य होगा।

4.2 मध्यप्रदेश शासन, समान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय भोपाल के पत्र क्रमांक सी 3-9/2019/1/3, दिनांक 22.02.2022 में प्रावधानुसार पत्र की कंडिका 1 एवं 2 में उल्लेखित वर्गों के उम्मीदवारों की अधिकतम आयु सीमा 55 वर्ष निर्धारित की गई है।

5. **दिव्यांग अभ्यर्थियों द्वारा आवेदन प्रस्तुत किया जाना:-** अभ्यर्थी अपने आवेदन- पत्र www.mponline.gov.in के माध्यम से ऑनलाईन पद्धति से भरना अनिवार्य होगा। किसी भी प्रकार का ऑफलाईन आवेदन-पत्र स्वीकार नहीं किया जावेगा।

6. आवेदन पत्र का निर्धारित प्रारूप, शैक्षणिक अर्हता, शर्तें एवं आवेदन करने के लिए आवश्यक निर्देश विभाग की वेबसाइट food.mp.gov.in पर देखे जा सकते हैं।

7. **आवेदन शुल्क:-** आवेदक आवेदन का एमपी ऑनलाईन द्वारा निर्धारित शुल्क राशि रूपये 200+जीएसटी एम. पी. ऑनलाईन कियोस्क के माध्यम से एवं नेट बैंकिंग/ डेबिट कार्ड / क्रेडिट कार्ड / यू. पी. ई. / वालेट पेमेंट से जमा की जा सकेगी।

8. **अर्हकारी अंक:-** मध्यप्रदेश शासन, समान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय भोपाल के पत्र क्रमांक एफ 7-19/2019/आ. प्र./ एक, दिनांक 31.05.2024 के परिपालन में विज्ञान स्नातक (जिसमें भौतिकी एक विषय के रूप में हो) या प्रौद्योगिकी/इंजिनियरिंग में डिप्लोमा 100 प्रतिशत अंक से प्रवीण्य सूची तैयार की जावेगी। समान अंक होने पर अधिक विकलांगता वाले अभ्यर्थी को प्राथमिकता दी जावेगी।

9. **अभ्यर्थियों की मुख्य सूची (चयन सूची) तथा प्रतीक्षा सूची (अनुपूरक सूची) जारी करना:-** संयुक्त प्रवीण्य सूची के आधार पर विज्ञापित पदों की संख्या के लिये अभ्यर्थियों का चयन किया जाएगा। दिव्यांग श्रेणी VH EH LD एवं MD अनुसार मुख्य सूची/चयन सूची पृथक-पृथक तैयार की जावेगी । मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के आदेश क्रमांक सी-3-9/2016/1-3, दिनांक 10.10.2016 की कंडिका 03 एवं 04 के अनुसार परीक्षा में चयनित अभ्यर्थी सूची के 15 प्रतिशत की प्रतीक्षा सूची बनाई जावेगी। ऐसी भर्ती परीक्षा की प्रतिक्षा सूची परिणाम घोषित होने से एक वर्ष अथवा नवीन परीक्षा परिणाम घोषित होने तक (जो भी पहले) प्रभावी रहेगी।

10. **नियुक्ति के लिए एम. पी. ऑन लाईन की अनुशंसाऐं:-**

10.1 एम. पी. ऑनलाईन चयनित अभ्यर्थियों के नामों की, नियम 9 के अनुसार मूल रिक्तियों के पदों के अनुसार, खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण संचालनालय भोपाल मध्यप्रदेश को अनुशंसा करेगा।

10.2 खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण संचालनालय भोपाल मध्यप्रदेश अर्हता से संबंधित अपेक्षित दस्तावेजों का परीक्षण करेगा और एम. पी. ऑनलाईन द्वारा भेजे गए अभ्यर्थियों के नामों की औपाचारिकताऐं पूरी करेगा तथा नियमानुसार नियुक्ति आदेश जारी करेगा।

10.3 एम. पी. ऑनलाईन द्वारा जारी मेरिट लिस्ट के अभ्यर्थियों के अभिलेखो का परीक्षण ऑनलाईन एवं अभ्यर्थी का आधारकार्ड के आधार पर बायोमेट्रिक सत्यापन स्क्रूटनी/दस्तावेज प्रक्रिया के दौरान विभाग द्वारा की जायेगी।

10.4 चयनित अभ्यर्थी को नियुक्ति आदेश में उल्लेखित अंतिम तारीख तक पदभार ग्रहण करना होगा। ऐसा न करने पर संबंधित अभ्यर्थी की अभ्यर्थिता स्वत: ही समाप्त हो जाएगी।

11. आरक्षण -

11.1 मध्यप्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़ा वर्गों के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1994 (क्रमांक 21 सन् 1994) के उपबंधों एवं मध्यप्रदेश राजपत्र 530 दिनांक 24 दिसम्बर 2019 के अनुसार, अभ्यर्थियों के लिए मान. उच्च

न्यायालय में लंबित याचिका क्रमांक 18105/2021 एवं अन्य समान याचिकाओं के अंतिम निर्णय के अध्याधीन लंबवत (वर्टीकल) आरक्षण लागू होगा। सम्पूर्ण एवं अधिक जानकारी के लिए सामान्य प्रशासन विभाग की Website- http://gad.mp.gov.in पर जाएँ।

11.2 मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण) क्र 304 दिनांक 03 अक्टूबर 2023 के अनुसार मध्यप्रदेश सिविल सेवा (महिलाओं की नियुक्ति के लिए विशेष उपबंध) नियम, 1997 नियम 3 में उप नियम (1) के स्थान पर निम्नलिखित उप नियम स्थापित किया गया है:-

"किन्ही सेवा नियमों में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, राज्य के अधीन सेवा में सीधी भर्ती के प्रक्रम पर, समस्त पदों (वन विभाग को छोड़कर) का पैंतीस (35 प्रतिशत) प्रतिशत पद महिलाओं के लिए आरक्षित होगा तथा उक्त आरक्षण क्षैतिज और प्रभाग-वार (होरिजेन्टल एण्ड कम्पार्टमेंट-वाइज) होगा।"

11.3 सामान्य प्रशासन विभाग भोपाल, के आदेश क्र.एफ 8/4/2001/आप्र/एक (पार्ट) भोपाल, दिनांक 03/07/2018 के अनुसार दिव्यांगजन को दिव्याजन अधिकार अधिनियम, 2016 की धारा 34 तथा मध्यप्रदेश दिव्यांगजन अधिकार नियम, 2017 के नियम 12 के तहत प्रत्येक सरकारी स्थापन में सीधीभर्ती के प्रक्रम में भरे जाने वाले द्वितीय श्रेणी, तृतीय श्रेणी एवं चतुर्थ श्रेणीकी लोक सेवाओं एवं पदों में दिव्यांगों के लिए 6 प्रतिशत आरक्षण निम्नानुसार किया गया है:-

1	दृष्टिबाधित और कमदृष्टि,	(VH)	1.5 प्रतिशत
2	बहरे और कम सुनने बाने,	(EH)	1.5 प्रतिशत
3	लोकोमीटर डिमेबिलिटी जिसमें सम्मिलित है, सेरेब्रल पाल्सी, कुष्ठ रोग मुक्त, बौनापन, एसिड अटेक पीडित, मस्कुलर डिस्ट्राफी	(LD)	1.5 प्रतिशत
4	ऑटिज्म, बौद्धिक दिव्यांगता स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी और मानसिक बीमारी और बहुविकलांगता	(MD)	1.5 प्रतिशत

परन्तु यह आरक्षण संबंधित विभाग द्वारा निःशक्त या शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों के लिए पहचाने और चिन्हित किए गए पदों के लिए दिया जाएगा।

6. आवेदन करने के लिए आवश्यक निर्देश :-

- ✓ आवेदक को मध्यप्रदेश का मूल निवासी होना अनिवार्य है।
- ✓ मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय भोपाल के पत्र क्रमांक सी 3-8/ 2016 / 1/3 दिनांक 04 जुलाई 2019 के अनुसार आवेदक का मध्यप्रदेश के किसी भी रोजगार कार्यालय में जीवित पंजीयन होना अनिवार्य है।
- ✓ यह सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी स्वयं आवेदक की होगी कि वह आवेदित पद के लिये निर्धारित समस्त आर्हताओं और शर्तों को आवेदन प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि तक पूर्ण करता है।
- ✓ मध्यप्रदेश शासन, समान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय भोपाल के पत्र क्रमांक एफ 7-19/2019/आ. प्र./ एक, दिनांक 31.05.2024 की कंडिका 2.5 के अनुसार दिव्यांग के लिए चिन्हांकित रिक्त पदों की पूर्ति की जावेगी
- ✓ अभ्यर्थी की केवल वही जन्म तिथि स्वीकार होगी, जो हाईस्कूल प्रमाण-पत्र पर उल्लेखित है, जो वास्तविक जन्म तिथि का उल्लेख करता है। आवेदन पत्र में एक बार जन्म तिथि का उल्लेख हो जाने पर

किसी भी स्थिति में जन्म तिथि में परिवर्तन के अनुरोध पर विचार नहीं किया जाएगाऔर ऐसा आवेदन पत्र निरस्त कर दिया जाएगा।

- ✓ मध्यप्रदेश शासन, समान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय भोपाल के पत्र क्रमांक सी-3-9/ 2016 / 1-3, दिनांक 10.10.2016 के अनुसार भर्ती परीक्षा विज्ञापनों उल्लेखित पदों की संख्या को घटाया या बढ़ाया जा सकता है।
- ✓ अपूर्ण एवं गलत भरे गये आवेदन पत्रों को निरस्त कर दिया जावेगा।
- ✓ शासकीय/अर्द्ध शासकीय संस्थाओं/कार्यालयों में कार्यरत आवेदनकर्ता अपना आवेदन पत्र नियुक्तिकर्ता /सक्षम अधिकारी से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त कर आवेदन पत्र के संलग्न कर प्रेषित करेंगे तथा अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त न होने की स्थिति में आवेदनों पर विचार नहीं किया जाएगा।
- ✓ चयन के लिए किसी भी स्तर पर अथवा चयन के उपरांत भी आवेदक को अनर्ह पाये जाने पर उसका आवेदन/ निरस्त कर उसकी उम्मीदवारी एवं चयन निरस्त कर दिया जाएगा।
- ✓ वांछित समस्त प्रमाण पत्रों एवं अभिलेखों की छायाप्रतियों को सक्षम अधिकारी अथवा स्वयं सत्यापित करने के उपरांत ही प्रमाण पत्रों की प्रति संलग्न प्रेषित की जावे।
- ✓ आवेदन-पत्र में कोई जानकारी अपूर्ण, असत्य या त्रुटिपूर्ण पायी जाती है अथवा वांछित प्रमाण- पत्र संलग्न नहीं किया जाता है, तो उसके आधार पर आवेदक को पूर्व सूचना दिये बिना उसका आवेदन पत्र किसी भी स्तर पर निरस्त किया जा सकता है।
- ✓ चयनित अभ्यर्थियों को खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण संचालनालय भोपाल मध्यप्रदेश के अधीनस्थ कार्यालयों के अंतर्गत किसी भी कार्यालय में पदस्थ किया जा सकेगा।
- ✓ यह कि आवेदन-पत्र के साथ सक्षम अधिकारी द्वारा प्रदत्त स्थाई जाति, मूल, निवासी, जन्म तिथि, श्रेणी (अनुसूचित जाति/जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग विकलांग) आदि से संबंधित प्रमाण-पत्र, शैक्षणिक अर्हता संबंधी अंकसूची/अभिलेखों की स्व-प्रमाणित छाया प्रतियां संलग्न की जाये।
- ✓ यह कि दिव्यांगजनों के आवेदकों को शासन द्वारा निर्धारित चिकित्सा मंडल/चिकित्सक/दिव्यांगजनों के विशेषज्ञ रोजगार कार्यालय एवं पुनर्वास कार्यालय के साथ संबद्ध मेडिकल बोर्ड द्वारा जारी किया गया मेडिकल प्रमाण पत्र संलग्न करना होगा।
- ✓ मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र दिनांक 30.06.2014 के अनुसार वर्गवार आरक्षण न करते हुए दिव्यांगजनों की श्रेणी के आधार पर आरक्षण किये जाने से विशेष पिछड़ी जनजातियों (सहारिया/सहरिया, भारिया एवं बैगा) महिलाओं एवं भूतपूर्व सैनिक श्रेणी के आवेदकों को पृथक से आरक्षण का लाभ प्राप्त नहीं होगा।
- ✓ ऐसे समस्त आवेदन पत्र जो अपूर्ण है एवं विहित प्रारूप में नहीं है वे निरस्त कर दिये जायेंगे। अभिलेखों को कूटरचित किया हो या ऐसे अभिलेख प्रस्तुत किये गये हो जो रूपान्तरित किये गये हो वे भी निरस्त कर दिए जाएंगे। साथ ही ऐसे विवरण दिये गए हो, जिसमें ऐसी तात्विक जानकारी छिपाई गई हो, जो चयन के लिए आवश्यक हो, तो ऐसे आवेदन पत्र भी निरस्त कर दिए जाएंगे।
- ✓ दिव्यांगजनों के लिए आरक्षित पदों के विरूद्ध चयनित होने वाले अभ्यर्थियों का उनके लिये जिला स्तर पर गठित मेडिकल बोर्ड से मेडिकल परीक्षण कराकर यह सुनिश्चित होने के पश्चात ही कि वे वास्तव में

विकलांग है यह जिला मेडिकल बोर्ड द्वारा प्रमाणित किये जाने के उपरांत ही नियुक्ति आदेश जारी किये जायेंगे।

- ✓ यह कि दिव्यांगजनों के लिए आरक्षित पदों के विरुद्ध चयनित होने वाले अभ्यर्थियों के निःशक्तता का प्रतिशत 40 प्रतिशत या अधिक पाए जाने पर ही कार्यभार ग्रहण कराया जाएगा।
- ✓ यह कि पूर्व से जारी किये गये निःशक्तता प्रमाण-पत्र का परीक्षण संबंधित जिले के मेडिकल बोर्ड से कराने के उपरांत ही दिव्यांगजनों के लिये आरक्षित पदों के विरुद्ध चयनित होने वाले अभ्यर्थियों को कार्यभार ग्रहण कराया जाएगा।
- ✓ मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग (आरक्षण प्रकोष्ठ) द्वारा ज्ञाप क्रमांक एफ 8/4/2001/आ.प्र./एक (पार्ट), दिनांक 03.07.2018 के माध्यम से दिए गए निर्देशानुसार सेवाओं एवं पदों में आरक्षण के लिये दिव्यांगजनों की परिभाषित श्रेणी के अंतर्गत पात्रता रखने वाले अभ्यर्थियों को ही चयनोपरांत नियुक्ति की पात्रता होगी। इसके अतिरिक्त दिव्यांगजनों के संबंध में राज्य शासन द्वारा वर्तमान एवं समय-समय पर जारी किए गए नियम/निर्देशों के अनुरूप ही चयन एवं नियुक्ति की कार्यवाही खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण संचालनालय भोपाल मध्यप्रदेश द्वारा की जावेगी।
- ✓ यह कि बिना किसी पूर्व सूचना के चयन को स्थगित अथवा निरस्त करने का अधिकार आयुक्त खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण संचालनालय भोपाल को रहेगा। अथ्यर्थी के चयन अथवा चयन उपरांत नियुक्त के संबंध आयुक्त खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण संचालनालय भोपाल का निर्णय अंतिम होगा।
- ✓ चयन के लिए किसी भी स्तर पर अथवा चयन के उपरांत भी आवेदक को अनर्ह पाये जाने परउसका आवेदन निरस्त कर उसकी उम्मीदवारी एवं चयन निरस्त कर दिया जाएगा।
- ✓ यह कि जिस आवेदक का विवाह निर्धारित न्यूनतम आयु (पुरुष वर्ग के लिए 21 वर्ष एवं महिला वर्ग के लिए 18 वर्ष) के पूर्व हो गया हो उसे उक्त पदों के लिए अयोग्य माना जावेगा।
- ✓ यह कि जिस आवेदक की दो से अधिक जीवित संतान हो, जिनमें से एक का जन्म 26 जनवरी 2001 को या उसके पश्चात हुआ हो नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा, परन्तु कोई भी आवेदक जिसकी पहले से एक से अधिक संतानों का जन्म होता है, किसी सेवा में या पद पर नियुक्ति के लिए निर्हरित नहीं होगा।
- ✓ किसी आवेदक की ओर से किसी भी साधन से अपनी अभ्यार्थिता के समर्थन अभिप्राप्त किया गया कोई भी प्रयास उसके नियुक्ति चयन के लिए नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा निरर्हता समझा जाएगा।
- ✓ यह कि नियत अंतिम तिथि के उपरांत प्राप्त आवेदन पत्र निरस्त माने जायेंगे तथा इसके लिए खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण संचालनालय भोपाल द्वारा अभ्यर्थी को कोई लिखित जानकारी देने का उत्तरदायी नहीं होगा।

मध्यप्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय

क्रमांक सी 3-8/2016/1/3 भोपाल, दिनांक 04 जुलाई, 2019

प्रति,

शासन के समस्त विभाग,
समस्त विभागाध्यक्ष,
समस्त संभागायुक्त,
समस्त कलेक्टर,
समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत,
मध्यप्रदेश।

विषय:- राज्य शासन की सेवाओं में सीधी भरती से भरे जाने वाले पदों पर नियुक्ति के लिए निर्धारित अधिकतम आयु-सीमा में संशोधन बावत ।

सन्दर्भ:- इस विभाग का परिपत्र क्रमांक सी 3-11/2012/1/3, दिनांक 03 नवम्बर, 2012, 20 नवम्बर, 2012, 13 जनवरी, 2016 एवं ज्ञाप क्रमांक सी 3-8/2016/1/3, 12 मई, 2017

सन्दर्भित परिपत्रों द्वारा राज्य शासन की सेवाओं में सीधी भर्ती से भरे जाने वाले पदों पर नियुक्तियों के लिए अधिकतम आयु-सीमा के निर्देश जारी किए गए हैं। राज्य शासन द्वारा परिपत्र दिनांक 12 मई, 2017 में निम्नानुसार संशोधन किया जाता है:-

क्र.	भर्ती का तरीका	म.प्र. लोक सेवा आयोग से भरे जाने वाले पदों (राजपत्रित/ अराजपत्रित/ कार्यपालिक) के लिए	लोक सेवा आयोग की परिधि से बाहर के तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी पदों के लिए
		न्यूनतम/अधिकतम आयु सीमा (वर्ष में)	
1.	खुली प्रतियोगिता से सीधी भरती के भरे जाने वाले पदों के लिए	21 से 40	18 से 40

2-

2.	अनु.जा.,अनु.जनजा. अन्य पिछड़ावर्ग, शासकीय/ निगम/ मण्डल/ स्वशासी संस्था के कर्मचारियों/ नगर सैनिक/ नि:शक्तजन/महिलाओं (अनारक्षित/ आरक्षित) आदि के लिए	21 से 45 (अधिकतम आयु सीमा में 05 वर्ष की छूट)	18 से 45 (अधिकतम आयु सीमा में 05 वर्ष की छूट)

नोट:- सभी पदों के लिए अभ्यर्थियों का मध्यप्रदेश राज्य के रोजगार कार्यालय में जीवित पंजीयन होना अनिवार्य होगा।

2/ उक्त आदेश जारी होने के दिनांक से प्रभावशील होगा।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार,

(सी.बी.पड़वार)
उप सचिव
मध्यप्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग

पृष्ठांकन सी 3-8/2016/1/3 भोपाल, दिनांक 04 जुलाई, 2019

प्रतिलिपि :-

1. राज्यपाल के सचिव, म.प्र. राजभवन, भोपाल।
2. अध्यक्ष राजस्व मण्डल, म.प्र. ग्वालियर।
3. प्रमुख सचिव/सचिव मुख्य मंत्री कार्यालय, म.प्र.।
4. मान. मंत्री/राज्य मंत्रीगण के निज सचिव/निज सहायक, म.प्र.।
5. महालेखाकार, म.प्र. ग्वालियर/भोपाल।
6. रजिस्ट्रार जनरल, उच्च न्यायालय, मध्य प्रदेश जबलपुर।
7. महानिदेशक, प्रशासन अकादमी, म.प्र. भोपाल।
8. अध्यक्ष, माध्यमिक शिक्षा मण्डल, भोपाल।
9. अध्यक्ष, प्रोफेशनल एक्जामिनेशन बोर्ड, भोपाल।
10. प्रमुख सचिव/सचिव/उप सचिव/अवर सचिव (स्थापना/अधीक्षण),मध्य प्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, भोपाल।
11. प्रमुख सचिव, मध्य प्रदेश विधान सभा सचिवालय, भोपाल।
12. मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, म.प्र. भोपाल।
13. सचिव, म.प्र. राज्य निर्वाचन, भोपाल।

3-

14. सचिव, लोकायुक्त, मध्य प्रदेश भोपाल।
15. सचिव, लोक सेवा आयोग, मध्य प्रदेश इन्दौर।
16. सचिव, म.प्र. राज्य सूचना आयोग, भोपाल।
17. सचिव, म.प्र. मानव अधिकार आयोग, भोपाल।
18. मुख्य सचिव के उप सचिव, मुख्य सचिव कार्यालय, म.प्र. शासन, भोपाल।
19. महाधिवक्ता/उप महाधिवक्ता, मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय जबलपुर, खण्डपीठ इन्दौर/ग्वालियर।
20. आयुक्त, जनसंपर्क संचालनालय, मध्य प्रदेश भोपाल।
21. समस्त जिला कोषालय अधिकारी, मध्य प्रदेश।
22. मुख्य लेखाधिकारी, मंत्रालय भोपाल।
23. अध्यक्ष, मध्य प्रदेश राज्य कर्मचारी कल्याण समिति, भोपाल।
24. अध्यक्ष, शासन के समस्त मान्यता प्राप्त कर्मचारी संघ, म.प्र.।

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

(सी.बी.पड़वार)
उप सचिव
मध्य प्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग

मध्यप्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय

क्रमांक सी 3-9/2019/1/3 भोपाल, दिनांक 22 फरवरी 2022

प्रति,

1. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव
   शासन के समस्त विभाग
2. समस्त संभागायुक्त
3. समस्त कलेक्टर
4. समस्त मुख्य कार्यापालन अधिकारी जिला पंचायत
   मध्यप्रदेश

विषयः- शासकीय सेवा में नियुक्ति के लिए विभिन्न वर्गों को प्राथमिकता दिए जाने संबंधी सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञाप दिनांक 14 अप्रैल, 1972 के स्पष्टीकरण बाबत्।

.....

सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र दिनांक 14/04/1972 के निर्देश में विभिन्न वर्गों को शासकीय सेवा में नियुक्ति के लिए प्राथमिकता क्रम एवं इनके साथ ही ज्ञाप क्रमांक 172/2184/1/3/8 दिनांक 27 फरवरी, 1982 के द्वारा जनगणना 1981 अतिशेष एवं ज्ञाप क्रमांक एफ सी-3-31-90-49-3 दिनांक 19 सितंबर, 1990 निर्वाचन अतिशेष कर्मचारियों की प्राथमिकता निम्नानुसार निर्धारित की गई है:-

1.	हाल के भारत-पाक संघर्ष में अपंग हुए सैनिकों को	ए-1
2.	हाल के भारत-पाक संघर्ष में मृत सैनिकों के प्रत्येक सैनिक के परिवार के अधिक से अधिक 2 आश्रित व्यक्तियों को	ए-2
3.	भूतपूर्व सैनिकों (Demobilised Defence forces Personnel - Ex Servicemen - other ranks) को	ए-3
4.	निर्वाचन के अतिशेष कर्मचारी	बी
5.	अतिशेष कर्मचारियों को	बी-1

.....2

6.	जनगणना 1981 के अतिशेष कर्मचारी	बी-1
7.	कार्यभारित एवं आकस्मिकता निधि से वेतन पाने वाले कर्मचारियों को	बी-2
8.	राष्ट्रीय छात्र सेना (NCC) के उम्मीद्वारों को जिनके पास "सी" एवं "डी" प्रमाण-पत्र	सी-1
9.	वर्मा एवं सिलोन से आये हुए भारतीय नागरिकों को -	सी-2

2/ कंडिका 1 में उल्लेखित वर्गों की सूची में राजस्व विभाग के अन्तर्गत कार्यरत सेक्शन राईटर्स को सम्मिलित किया जाता है।

3/ मध्यप्रदेश शासन सामान्य प्रशासन विभाग के असाधारण राजपत्र क्रमांक सी 3-10/2013/1/3, दिनांक 04 अक्टूबर, 2013 से राज्य शासन अंतर्गत स्वीकृत सभी कनिष्ठ पदों पर चयन म.प्र. कनिष्ठ सेवा (संयुक्त अर्हता) परीक्षा नियम, 2013 अंतर्गत म.प्र. कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा आयोजित की जाने वाली लिखित परीक्षा के माध्यम से किया जाना नियत किया गया है।

4/ कंडिका 3 में उल्लेखित परीक्षा की अनिवार्यता को दृष्टिगत रखते हुये शासकीय सेवा में नियुक्ति के लिए विभिन्न वर्गों को प्राथमिकता दिए जाने के विषय में अब राज्य शासन द्वारा निर्णय लिया गया है कि -

4.1 कंडिका 1 में उल्लेखित वर्गों के पारस्परिक प्राथमिकता क्रम को समाप्त किया जाता है।

4.2 कंडिका 1 एवं 2 में उल्लेखित वर्गों के उम्मीदवारों को म.प्र. कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा आयोजित परीक्षा में सम्मिलित होने हेतु अधिकतम आयु सीमा 55 वर्ष निर्धारित की जाती है।

4.3 कंडिका 1 एवं कंडिका 2 में उल्लेखित वर्गों के उम्मीदवारों को म.प्र. कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा आयोजित परीक्षा में प्राप्त प्राप्तांक में 5 प्रतिशत अतिरिक्त अंक प्रदान किये जायेंगे।

.....3

4/ यह आदेश मंत्रि-परिषद् आदेश आयटम क्रमांक-3 दिनांक 18 जनवरी, 2022 में लिये गए निर्णय के अनुक्रम में जारी किया गया है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से,
तथा आदेशानुसार

22/2/22

(दिशा प्रणय नागवंशी)
उप सचिव
मध्यप्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग
भोपाल, दिनांक 22 फरवरी, 2022

पृष्ठांकन क्रमांक सी 3-9/2019/1/3

प्रतिलिपिः–

1. प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री जी, मध्यप्रदेश शासन, मंत्रालय भोपाल।
2. प्रमुख सचिव, महामहिम राज्यपाल, राजभवन, मध्यप्रदेश, भोपाल।
3. प्रमुख सचिव, राजस्व विभाग, म.प्र. मंत्रालय, भोपाल।
4. अध्यक्ष, राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर।
5. माननीय मंत्री/राज्यमंत्री के निज सचिव/निज सहायक, मध्यप्रदेश भोपाल। प्रमुख सचिव (समन्वय), मुख्य सचिव कार्यालय, मंत्रालय, मध्यप्रदेश शासन, भोपाल
6. महानिदेशक, प्रशासन अकादमी, मध्यप्रदेश, भोपाल।
7. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश विधानसभा सचिवालय, भोपाल।
8. मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, मध्यप्रदेश, भोपाल।
9. अध्यक्ष, म.प्र. कर्मचारी चयन बोर्ड, मध्यप्रदेश, भोपाल।
10. सचिव, मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग, भोपाल।
11. महाधिवक्ता/उप महाधिवक्ता, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय, खण्डपीठ इन्दौर/ ग्वालियर/जबलपुर।
12. रजिस्ट्रार जनरल, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर।
13. सचिव, लोकायुक्त, मध्यप्रदेश, भोपाल।
14. सचिव, मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग, इन्दौर।
15. उप सचिव/अवर सचिव, स्थापना/अधीक्षण/अभिलेख/मुख्य लेखाधिकारी, मध्यप्रदेश मंत्रालय।
16. आयुक्त, जन संम्पर्क संचालनालय, मध्यप्रदेश, भोपाल की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

22/2/22

उप सचिव
मध्यप्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग